कार्यालय प्रति
बैठक प्रको०
कुलसचिव कार्या.

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

विद्या परिषद की 45वीं बैठक

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 45 वीं बैठक दिनांक 4 मई, 2013 को अपरान्ह 2:00 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई एवं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1.	प्रो0 विनय पाठक कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एच0पी0 शुक्ला आचार्य उतराखंड वि0वि0 हल्दवानी	सदस्य
3.	प्रो0 विभा उपाध्याय इतिहास विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर	सदस्य
4.	डॉ हरिसिंह मीणा प्राचार्य, जे0डीबी0 कॉलेज, कोटा	सदस्य (निदेशक कॉलेज शिक्षा द्वारा नामित)
5.	प्रो0 पी0 के0 शर्मा आचार्य(प्रबंध)वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
6.	डा0 एल0 आर0 गुर्जर सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
7.	डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा सह आचार्य (इतिहास)वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
8.	डा0 एच0 बी0 नंदवाना सह आचार्य (पुस्तकालय विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।	सदस्य

9. डा0 आर0 के0 जैन सदस्य
सह आचार्य (प्रबंध)वमखुविवि, कोटा।

10. डा0 श्रीमती क्षमता चौधरी सदस्य
सहा0 आचार्य (अंग्रेजी)वमखुविवि,कोटा।

11. डा0 श्रीमती मीता शर्मा सदस्य
सहा0 आचार्य (हिन्दी)वमखुविवि,कोटा।

10. डा0 श्रीमती अनुराधा शर्मा सदस्य
सहा0 आचार्य (वनस्पति शास्त्र) वमखुविवि,कोटा।

11. डा0 अनुरोध गोधा
सहा0 आचार्य (वाणिज्य)वमखुविवि,कोटा।

12. परीक्षा नियंत्रक विशेष आमंत्रित
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा।

13. कुलसचिव सदस्य सचिव
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व समिति के सभी सदस्यों ने परिचय दिया। माननीय कुलपति महोदय ने बाहरी सदस्यों प्रो0 एच0पी0 शुक्ला, हल्दवानी एवं पहली बार समिति की बैठक में उपस्थित होने पर में प्रो0 विभा उपाध्याय, इतिहास विभाग, राज0वि0 वि0जयपुर एवं डॉ हरिसिंह मीणा, निदेशक कॉलेज शिक्षा द्वारा नामित सदस्य का स्वागत किया। विधिवत रूप से सदन की बैठक प्रारंभ होने के पश्चात कार्यसूची विवरण पर बिंदुवार निम्न निर्णय लिए गए :—

45/01 विद्या परिषद की 44वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 44वीं बैठक का अनुमोदन किया गया।

45/02 विद्या परिषद की 44वीं बैठक के निर्णयों के कम में की गई कार्यवाही का बिंदुवार अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

अनुपालना प्रतिवेदन के कम में प्रो0 पी0 के0 शर्मा द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि पूर्व बैठक के निर्णय संख्या 44/20(5) के कम में नवीन अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु मान्यता बोर्ड के गठन के आदेश कमांक 161 दिनांक 10 अप्रेल 2013 भी जारी कर दिए गए है, सदन द्वारा उक्त जानकारी को नोट किया गया।
डा0 एच0 बी0 नंदवाना ने पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि पूर्ण होने पर पुनः पंजीयन के आदेश के सम्बन्ध में जानकारी चाही, इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति तैयार करने के लिए सदन द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः–

1. डा0 एच0 बी0 नंदवाना
2. परीक्षा नियंत्रक
3. उप कुलसचिव (विधि)

समिति की अनुशंसा के आधार पर आदेश निदेशक, संकाय द्वारा जारी किए जाएगें ।

माननीय कुलपति महोदय ने निर्देश प्रदान किए कि जो भी आदेश जारी किए जाएं वे संबंधित विभाग विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवश्यक रूप से अपलोड करवायें।

इसके उपरांत सदन द्वारा सम्बन्धित विभागो द्वारा की गई अनुपालना का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

45/03 विश्वविद्यालय की पुस्तकालय समिति में विद्या परिषद द्वारा सदस्य का मनोनयन का प्रस्ताव।

डॉ0 एच0 बी0 नन्दवाना, सह आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान का सदस्य के रूप में मनोनित करने का निर्णय किया गया।

45/04 जून–2008 की परीक्षाओं में एम0ए0 पाठ्यकमों को उत्तीर्ण करने हेतु संत्रात परीक्षा के न्युनतम प्राप्तांकों के सम्बन्ध मे जारी आदेश कमांक 1129–41 दिनांक 03.04.2013 सूचनार्थ।

सदन द्वारा इस संबंध में परीक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश का अवलोकन कर उसका अनुमोदन किया गया।

45/05 परीक्षा विभाग द्वारा आनुपातिक अंक, मोडरेशन एवं अनुमति पत्र आनलाइन जारी करने बाबत् जारी आदेश कमांक 5006–10 दिनांक 26.04.13 सूचनार्थ।

सदन द्वारा इस संबंध में परीक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश का अवलोकन कर उसका अनुमोदन किया गया।

45/06 नवीन पाठ्यकम प्रारंभ किए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निम्नलिखित नवीन पाठ्क्रम प्रारंभ किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत है:–

1. फसल संरक्षण में प्रमाण पत्र।
2. सामान्य कृषि में डिप्लोमा।
3. बैचलर आफ ट्युरिज़म एण्ड मैनजमेंट। पाठ्यकम के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पाठ्यकम की संरचना, शुल्क एवं कंटेंट्स के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ठ पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

नवीन पाठ्यकम प्रारंभ किए जाने के बारे में विद्या परिषद ने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

45/07 बी0 ए0 कार्यकम में लेटरल एंट्री प्रदान करने के सम्बन्ध में संकाय विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक 6512 दिनांक30.03.13 ।

संकाय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6512 दिनांक 30.3.2013 की अनुपालना में राजस्थान स्थित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक प्रथम या द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को हमारे विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रम की आगामी कक्षा में प्रवेश की सहमति परिषद द्वारा प्रदान की गई।

राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों के प्रकरणों पर निर्णय हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:–

1. निदेशक (संकाय)
2. निदेशक (क्षेत्रीय सेवाऐं)
3. परीक्षा नियंत्रक

45/08 स्नातक कला में अतिरिक्त विषय में स्नातक उपाधि प्रदान करने के सम्बन्ध में संकाय विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक 6513 दिनांक30.03.13

संकाय विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक 6513 दिनांक 30.03.13 का अवलोकन कर उसका अनुमोदन किया गया।

45/09 स्नातक उपाधि सामाजिक कार्य विषय में (बी0एस0डबल्यु0) प्रारभ करने का संपूर्ण प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

स्नातक उपाधि सामाजिक कार्य विषय में (बी0एस0डबल्यु0) प्रारभ करने का संपूर्ण प्रस्ताव का अवलोकन कर बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

45/10 मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ से सम्बन्धित आदेश/प्रस्तावों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय किए गए :–

1. एम0ए0एस0डबल्यु0 पाठ्यक्रम के नाम में संशोधन करते हुए एम0एस0डबल्यु करने का निर्णय करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

2. अर्थशास्त्र में बोर्ड आफ स्टेडीज के गठन के कार्यालय आदेश क्रमांक 21 दिनांक 19.03.13 को नोट किया गया।

3. समाजशास्त्र में बोर्ड आफ स्टेडीज के गठन के कार्यालय आदेश क्रमांक 22 दिनांक 19.03.13 को नोट किया गया।

4. डिप्लोमा इन सोशियल प्रोब्लम इन राजस्थान में बोर्ड आफ स्टेडीज के गठन के कार्यालय ओदश क्रमांक 23 दिनांक 19.03.13 को नोट किया गया।

5. सी0पी0एन0एम0 में बोर्ड आफ स्टेडीज के गठन के कार्यालय ओदश क्रमांक 14 दिनांक 15.03.13 को नोट किया गया।

45/11 डा0 कर्ण सिंह , सह आचार्य के निर्देशन में शोध कर चुके शोध छात्रों एवं शोधरत छात्रों को उपाधि दिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में उप निदेशक (शोध) डा0 क्षमता चौधरी द्वारा सदन को विस्तृत जानकारी से अवगत करवाते हुए बताया गया कि प्रकरण से जुड़ी शोध उपाधियों का प्रकरण पहली बार निर्णय हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा डा0 कर्ण सिंह के शोध प्रकरणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किए गए:–

1. जिन शोद्यार्थियों को प्रोविजनल उपाधि जारी कर दी गई है, उन्हें फाइनल उपाधि जारी करने से पूर्व विद्यार्थी एवं शोध पर्यवेक्षक से इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि भविष्य में यदि शोध कार्य के सम्बन्ध में कोई plagiary पाई गई तो उक्त उपाधि निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार वि0वि0 का रहेगा । छात्र द्वारा न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा एवं अगर वाद हो तो वापस ले लिया जायेगा तथा वाद न करने का शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रचलित प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है।
2. जो शोद्यार्थी पूर्व में पंजीकृत है एवं शोध कार्य चल रहा है, उनके सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि नवीन नियमों के तहत इन शोद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में भाग लेकर पुनः पंजीकरण करवाना होगा एवं इन छात्रों का पंजीयन निशुल्क होगा।
3. सदस्या डा0 विभा उपाध्याय ने सुझाव दिया कि जिन शोधार्थियों का पंजीयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2009 के शोध नियम लागू होने से पूर्व का था उनके सम्बन्ध में एक छ माह का कोर्सवर्क तैयार कर उन्हें कोर्सवर्क पूर्ण करने का विकल्प प्रदान किया जा सकता है ताकि इन शोद्यार्थियों के प्रमाण पत्र में 2009 के नियमों के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। जिस पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

4. जिन शोधार्थियों ने शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिए है लेकिन विषय विशषज्ञों/कार्यालय में viva हेतु एवं रिपोर्ट के लिए लंबित है इनके सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया:–
   1. प्रो0 पी0 डी0 शर्मा, जयपुर
   2. प्रो0 रमेश दीक्षित
   3. प्रो0 सी0एल0 शर्मा, आचार्य (सेवानिवृत्त) कुमाउ वि0वि0

   उक्त पैनल के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ के चयन के लिए विद्या परिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

45/12 क्वालिटी एश्योरेंस नीति का प्रारूप अनुमोदनार्थ।

कामनवेल्थ आफ लर्निंग के साथ हुए अनुबंध के क्रम में क्वालिटी एश्योरेंस नीति पर तैयार दस्तावेज एवं इसकी गतिविधियों के बारे में प्रो0 पी0 के0 शर्मा ने सदन को विस्तृत जानकारी से अवगत करवाया इसके उपरांत सदन द्वारा प्रस्तुत प्रारूप का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

45/13 प्राकृत भाषा में डिप्लोमा कार्यक्रम के अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्राकृत भाषा में डिप्लोमा का नये कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए सदन को अवगत करवाया गया कि प्राकृत भाषा साहित्य अकादमी द्वारा प्राकृत एवं अपभ्रंष भाषा के पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय को 2.00 लाख रूपये का अनुदान दिया गया है, सदन द्वारा उक्त जानकारी के बाद प्राकृत भाषा साहित्य अकादमी को धन्यवाद ज्ञाप्ति किया गया ।

सदन द्वारा प्राकृत भाषा में डिप्लोमा पाठ्यकम का अनुमोदन करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

45/14 अपभ्रंश भाषा में डिप्लोमा कार्यकम के अनुमोदन का प्रस्ताव।

सदन द्वारा अपभ्रंश भाषा में डिप्लोमा पाठ्यकम का अनुमोदन करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

45/15 भोजन एवं पोषण विषय में निम्नलिखित कार्यकम प्रारंभ किए जाने का प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई :–

1. Certificate Course in nutrition and dietetics
2. Diploma in dietetics, helth and nutrition
3. Elective paper in B.A. Home Sc.
4. B.Sc. Home Sc. (Three year programme)

45/16 बी0 एस0 सी0 (होस्पीटीलिटी एवं होटल प्रबंध) में तीन वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव।

त्रिवर्षीय बी0एस0सी0 (होस्पीटीलिटी एवं होटल प्रबंध) कार्यक्रम की कार्यक्रम अभिकल्प समिति एवं बोर्ड आफ स्टेडीज़ द्वारा तैयार रूप रेखा का अवलोकन कर अनुमोदित करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

45/17 पुस्तकालय स्वचालन एवं नेटवर्किंग में डिप्लोमा कार्यक्रम का अनुमोदन।

पुस्तकालय स्वचालन एवं नेटवर्किंग में डिप्लोमा कार्यक्रम की रूपरेखा, विषय वस्तु एवं इकाई संरचना आदि संपूर्ण विवरण का अवलोकन करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा सुझाव प्रदान किया गया कि पाठ्यक्रम को सत्र जुलाई–13 से प्रांरभ करने के प्रयास किए जाए।

45/18 विधि से सम्बन्धित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की:–।

1. L.L.M
2. Certificate in Human Rights
3. Certificate in consumer law and Practics

45/19 अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम का अनुमोदन।

बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की बोर्ड आफ स्टेडीज द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

45/20 विज्ञान एवं तकनीकी विद्यापीठ से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रस्तावों का विद्या परिषद के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

1. एम0एस0सी0 (वनस्पति विज्ञान , प्राणी विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान)की कार्यक्रम संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

2. एम0सी0ए0, डी0सी0एच0एन0एम0ए, आर0एस0सी0आई0टी0की कार्यक्रम संरचना का अवलोकन करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

3. बी0 एस0 सी0 पी0 का नवीन पाठ्क्रम आदेश एवं संरचना सम्बन्धी आदेश का अवलोकन करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

4. एक0 अतिरिक्त विषय में बी0एस0सी0 डिग्री सम्बन्धी आदेश को सदन द्वारा नोट किया गया।

5. बी0एस0सी0 लेटरल एंट्री सम्बन्धी आदेश का अनुमोदन करते हुए कार्यवाही हेतु पूर्व निर्णय संख्या 45/07 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

6. वनस्पति विज्ञान , प्राणी विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान, जैव प्राद्योगिकी,(यह कार्यक्रम डॉ बी0आर. अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय,हैदराबाद के माध्यम से करार कर प्राप्त किये जायेंगे)। गणित एवं कंप्युटर विज्ञान (यह कार्यक्रम के0के0 हण्डिक ओपन युनिवर्सिटी गुवाहटी, आसाम के माध्यम से करार कर प्राप्त किये जायेंगे)। विषयों/विभागों में बोर्ड आफ स्टेडीज के गठन सम्बन्धी आदेश का अवलोकन कर नोट किया गया।

45/21 सतत् शिक्षा विद्यापीठ द्वारा एम0ए0 (शिक्षा) एवं बी0एड0 के पाठ्यक्रम शुल्क संरचना एवं बी0एड0 कार्यक्रम में शिक्षण विषयों के समूह सम्बन्धी आदेश सूचनार्थ।

आदशों का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

45/22 भाषा विद्यापीठ से सम्बन्धित निम्नलिखित नवीन पाठ्यकमों को विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त करने के बाद प्रारंभ किए जाने के प्रस्तावों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया :–

1. सर्टिफिकिट इन हरबल एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग आफ डवलपमेंट।
2. सर्टिफिकिट इन ज्योतिषि
3. सर्टिफिकिट इन योगा
4. सर्टिफिकिट इन आयुर्वेद

उपरोक्त कार्यक्रम पं0 सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से करार कर प्राप्त किये जायेंगे।

45/23 सर्टिफिकिट कोर्स इन इंगलिश एवं सर्टिफिकिट कोर्स इन टीचिंग आफ इंगलिश सम्बन्धी पाठ्यकम की निमार्ण समिति की बैठक दिनांक 04 मई 2013 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। पाठ्यकम बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

45/24 नेचरपेथी में प्रमाण पत्र पाठ्यकम प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए बोर्ड ऑफ स्ट्डीज़, अध्ययन केन्द्र एवं पाठ्यक्रम संरचना का कार्य पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

45/25 (1) बैचलर आफ ट्युरिज्म एवं ट्रेवल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के प्रस्ताव को सैद्वान्तिक सहमति प्रदान करते हुए एम0ओ0यु0 का अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया गया:–

1. डा0 एल0 आर0 गुर्जर (निदेशक, संकाय)
2. डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा, सह आचार्य (इतिहास)
3. श्री एन0 एल0 चांडक, उप कुलसचिव (विधि)

45/25 (2) कुलसचिव द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि शिक्षकों के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विषय विशेषज्ञों के पैनल जो पूर्व में विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिये गये थे। इन्हें अग्रिम कार्यवाही हेतु 1974 अधिनियम के तहत गठित समिति की बैठक मे प्रस्तुत किया गया। बैठक के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया था कि प्रस्तुत विषय विशेषज्ञों के पैनलों में और अधिक सूचनाएं जैसे विशेषज्ञता का क्षेत्र (Area of Specialization) फोन नंबर, कार्यानुभव इत्यादि का समावेश और कर समिति की आयोजित होने वाली आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायें। इस संदर्भ में सदन ने निर्णय लेकर माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि पूर्व में अनुमोदित पैनलों में समिति द्वारा चाही गई सूचनाओं को समाविष्ट कर समिति की आयोजित होने वाली आगामी बैठक में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत्त करवायें।

45/25 (3) बी0सी0पी0 पाठ्यक्रम की नई संरचना, शुल्क आदि के सम्बन्ध में जारी आदेश कमांक 34–39 दिनांक 26 अप्रेल 2013 को अनुमोदन किया गया।

45/25(4) निदेशक, वाणिज्य एवं प्रबंध द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

1. बेचलर आफॅ कॉमर्स पाठ्यक्रम की नयी सरंचना
2. बी0 ए0 कार्यकम में लेटरल एंट्री प्रदान करने बाबत प्रस्ताव
3. स्कूल बोर्ड का गठन
4. प्रबंध पाठ्यक्रम मे बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन
5. वाणिज्य पाठ्यक्रम मे बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन

उक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

45/25(5) विभिन्न विश्वविद्यालय/संस्थाओं से पाठ्यक्रमों के संबंध में MOU किये जाने के प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

उक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

उक्त बिंदुओं पर निर्णयापरांत माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को निम्नलिखित बिंदुओ से अवगत करवाया:–

1. विद्या परिषद में मनोनीत शिक्षाविद प्रो0 जे0पी0एस0 राय, निदेशक, एच0बी0टी0आई0 कानपुर द्वारा कार्य में व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे है, अतः उनके स्थान पर

किसी अन्य शिक्षाविद को परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए सदन की सहमति से प्रो0 नागेश्वर राव, पूर्व कुलपति, यु0पी0आर0टी0ओ0यु0 इलाहबाद को परिषद का नया सदस्य मनोनीत किया गया।

2. संकाय विभाग में विभिन्न विषयों के कन्वीनर एवं विभागाध्यक्षों के कार्यो आदि के सम्बन्ध में संशय रहता है, उक्त जानकारी के क्रम में सदन ने इसकी स्थिति स्पष्ट करने एवं स्टेच्युट्स में आवश्यकतानुसार परिर्वतन के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति के गठन का निर्णय किया गया:—

   1. डा0 एल0 आर0 गुर्जर (निदेशक, संकाय)
   2. प्रो0 श्रीमती विभा उपाध्याय, आचार्य (इतिहास) राजस्थान वि0 वि0 जयपुर।
   3. श्री एन0 एल0 चांडक, उप कुलसचिव (विधि)

3. माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम निर्माण समिति में कुलपति को संयोजक बनाया हुआ है, जबकि उक्त समिति का मुख्य कार्य पाठ्यक्रम तैयार करना उसकी क्वालिटी सुनिश्चितता करना आदि है, अतः पाठ्यक्रम निर्माण समिति का संयोजक निदेशक, संकाय को बनाया जाना चाहिए। इस पर विचार व्यक्त करते हुए प्रो0 विभा उपाध्याय ने सदन को अवगत कराया कि राज0 वि0वि0 जयपुर में भी सम्बन्धित विभाग के डीन ही पाठ्यक्रम निर्माण समिति के संयोजक है।

   इस पर सदन द्वारा विश्वविद्यालय में भी निदेशक, संकाय को पाठ्यक्रम निर्माण समिति का संयोजक बनाये जाने का निर्णय किया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव